न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुण्डा, प्रतापगढ़।

UPPG160042352025

Bail Application/571/2025

nagina lal Vs. State Government of U.P

दिनांक–०६.०८.२०२५

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण नगीना लाल, पंकज व विजय की ओर से मुकदमा संख्या–२६०१/२०२५, अन्तर्गत धारा–११५(२), ३३३, ३५२, ३५१(३) भा० न्याय संहिता , थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़ के प्रकरण में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण आज आत्मसमर्पण कर न्यायालय में उपस्थित हैं।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है प्रार्थी/अभियुक्त को मुकदमे में झूठा फंसाया गया है, वह निर्दोष हैं। प्रार्थी/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाए। जबकि विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि हस्तगत प्रकरण में हस्तगत प्रकरण में आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल हैं। सभी धारायें मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अभियुक्तगण की दौरान विवेचना गिरफ्तारी नहीं हुई है। विवेचक द्वारा बयान दर्ज किया गया है। अस्तु मामले के तथ्य, परिस्थितियों एवं **विधि व्यवस्था सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम सी०बी०आई० २०२१(१०) एसी०सी०सी०७७३** के दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु आधार पर्याप्त है।

आदेश

हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण उपरोक्त **(प्रत्येक)** द्वारा मुवलिग २५,०००/– रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र, समान धनराशि के दो प्रतिभू एवं अंडरटेकिंग दाखिल करने पर उन्हें निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए।

१. अभियुक्त विचारण में सहयोग करेंगे, अनावश्यक स्थगन नहीं प्रस्तुत करेंगे।

२. मामले के वादी मुकदमा एवं अन्य साक्षीगण को उत्प्रेरित नहीं करेंगे और न ही साक्ष्य से किसी प्रकार का छेड़छाड़ करेंगे।

(आकृति गौतम)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कुण्डा, प्रतापगढ़।

Digitally signed by AKRITI GAUTAM
Date: 2025.08.07 16:45:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court